

307/12 सोलुलाके १५ सोलुलाके

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम (अला

दिनांक	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल पी. ओ.
१.३.१७	<p>वादी एवं उसके अधिवक्ता उपर नही है, कई बार एक-एक करे अपावाजे लगाई गई, ना तो वादी उपर आया ना ही उसके अधिवक्ता ही उपर आये। स्वयं अदालत की सुनवाई पर है फलतः वाद वादी अद्वय हाजरी उपर प्रेस की से दारिद्र्यल व प्रत्ये किया जाता है परान तदनुसार के उपलब्ध सुमारे लोकए वाद तक की लु जमा अधिवक्तालय कराई आवे।</p>